भारत सरकार / Government of India

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

श्रेणी - २
SERIES - II

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUHTORITY

Daman 14th February, 2025 25 Magha, 1946 (Saka) No. : 06

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर एवं तकनीकी)
सचिवालय, दमण - 396210.

सं. 2.0-DH&TE/DNH&DD/HOD(POLY)-RR(GROUP "A")2024-25/16. दिनांक : 21/01/2025.

अधिसूचना

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 7/1/65-स्था(ए), दिनांक 16 फरवरी, 1965 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.-14017/13/2016-स्था(भ.नि.), दिनांक 18 जनवरी, 2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के तकनीकी शिक्षा संस्थानों (डिप्लोमा) में **विभागाध्यक्ष,** सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' (राजपत्रित एवं अलिपिकीय) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ :-**

(i) इन नियमों को **''संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के तकनीकी शिक्षा संस्थानों (डिप्लोमा) में विभागाध्यक्ष, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' (राजपत्रित एवं अलिपिकीय) पद के लिए भर्ती नियम, 2024''** कहा जाएगा ।

(ii) ये इस नियम की अनुसूची के कॉलम – 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।

(iii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे और इस तिथि को या उसके बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे ।

2. **<u>पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-</u>**

इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे, जो इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम-2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं : बशर्ते कि संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन कार्य की आकस्मिकताओं के मद्देनज़र समय-समय पर उक्त अनुसूची के कॉलम - 2 में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है ।

3. **<u>भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं :-</u>**

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **<u>अनर्हता :-</u>**

ऐसा कोई व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव इससे संतुष्ट हो जाएं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. **<u>शिथिल करने की शक्ति :-</u>**

जहां प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वे आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेंगे ।

6. **<u>व्यावृत्ति :-</u>**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. इसे नोट सं. 10779, दिनांक 10/09/2024 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं
दीव के आदेश एवं नाम से

ह/–

(शिवम तेवतिया)
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (उ. एवं त. शि.)
दानह तथा दमण एवं दीव

भर्ती नियम नियमन, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली						
13 प्वाइंट अनुसूची - अनुलग्नक ।						
नोट संख्या 10779 , दिनांक 10/09/2024 के अनुसार यूपीएससी द्वारा अनुमोदित अनुसूची वर्ष : 2024						
मंत्रालय/विभाग : कार्मिक, दानह तथा दमण एवं दीव में विभागाध्यक्ष पद के लिए भर्ती नियम						
पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल**	**चयन पद अथवा गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
विभागाध्यक्ष	13 (2024) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय **अभ्युक्ति :** **(i) सरकारी पॉलिटेक्निक, दमण – 06 पद :-** सिविल इंजीनियरिंग – 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग – 1 केमिकल इंजीनियरिंग – 1 कंप्यूटर इंजीनियरिंग – 1 सूचना प्रौद्योगिकी – 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग – 1	**सामान्य केन्द्रीय सेवा,** अलिपिकीय, राजपत्रित समूह ''क''	13ए **अभ्युक्ति :-** 7वें सीपीसी पर आधारित एआईसीटीई वेतनमान के अनुसार लेवल 13ए1 (रु. 1,31,400-2,17,100)	**लागू नहीं**	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) **(क) महत्वपूर्ण विवरण :-** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि यूपीएससी द्वारा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।	**योग्यता : अनिवार्य :-** (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी. और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग के क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से पीएच.डी. के बाद कम से कम 2 वर्ष का लेक्चरर (चयन ग्रेड-I) स्तर का अनुभव होना चाहिए । **या**

	(ii) <u>डॉ. बी.बी.ए. सरकारी पॉलिटेक्निक, सिलवासा – 03 पद</u> :- सिविल इंजीनियरिंग – 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग – 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग – 1 **(iii) <u>सरकारी पॉलिटेक्निक, दीव – 04 पद</u> :-** सिविल इंजीनियरिंग – 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग – 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग – 1 मरीन इंजीनियरिंग – 1					(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का लेक्चरर (चयन ग्रेड-II) स्तर का अनुभव होना चाहिए । **नोट 1 :** यदि कोई श्रेणी/डिवीजन नहीं दिया गया हो, तो कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक प्रथम श्रेणी/डिवीजन के बराबर माने जाएंगे । यदि ग्रेड पॉइंट प्रणाली अपनाई गई है तो संचयी ग्रेड पॉइंट औसत को नीचे दिए गए अनुसार समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा :- **ग्रेड प्वाइंट — समकक्ष प्रतिशत** 6.25 — 55 6.75 — 60 7.25 — 65 7.75 — 70 8.25 — 75 **नोट 2 :** प्रत्येक भर्ती के समय विषय या विषय क्षेत्र की सटीक आवश्यकता बताई जाएगी ।

						वांछनीय : योग्यता :- लागू नहीं. अनुभव :- लागू नहीं. **योग्यता मानक नोट :** अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए यूपीएससी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है । **अनुभव मानक नोट :** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यता(एं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी.	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.**	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा.**	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका गठन क्या है.**	**किन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.**
8	9	10	11	12	13
आयु : लागू नहीं. **शैक्षिक योग्यता :** लागू नहीं.	1 वर्ष	**पद्धति :** सीधी भर्ती द्वारा. प्रतिशतता : 100	लागू नहीं. **मानक नोट :** लागू नहीं	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) **विभागीय कॉन्फर्मेशन समिति** 1. प्रशासक के सलाहकार, दानह तथा दमण एवं दीव – (अध्यक्ष) **2.** वित्त सचिव, दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) **3.** शिक्षा सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) **4.** उप/संयुक्त सचिव (कार्मिक), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) **5.** निदेशक/संयुक्त सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) **6.** प्राचार्य, सरकारी पॉलिटेक्निक, दमण/दीव/सिलवासा – (सदस्य)	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

ह/–

(शिवम तेवतिया)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (उ. एवं त. शि.)

दानह तथा दमण एवं दीव

U.T. ADMINISTRATION OF
DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
DIRECTORATE OF EDUCATION (HIGHER & TECHNICAL)
SECRETARIAT, DAMAN-396210

No. 2.0-DH&TE/DNH&DD/HOD(Poly)-RR(Group 'A')/2024-25/16 Dated: - 21/01/2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution delegated to him vide Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi's Notification No.7/1/65-Est(A) dated 16th February, 1965 and Department of Personnel and Training, New Delhi O.M. No. AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 18th January, 2017, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to make the following Rules regulating the method of recruitment to the General Central Service, Group "A" (Gazetted & Non-Ministerial) post of **HEAD OF DEPARTMENTS** in Technical Educational Institutions (Diploma) under the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu are as under:-

1. **SHORT TITLE APPLICATION AND COMMENCEMENT: -**
   (i) These rules may be called by the "U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, General Central Service, Group "A" (Gazetted & Non-Ministerial) post of **HEAD OF DEPARTMENTS** in Technical Educational Institutions (Diploma) Services Recruitment Rules, 2024".
   (ii) They shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule to these Rules.
   (ii) These rules will come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and will relate to appointment to the various posts made on or after this date.

2. **NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY: -** The number of posts, classification of the said posts and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule to these rules: Provided that, the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may vary the number of posts in Column No.2 of the said schedule from time to time subject to exigencies of the work.

3. **METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND OTHER QUALIFICATION: -**
   The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. **DISQUALIFICATION:-** No Person (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) Who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service Provided that, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may, if satisfied that such marriage

is permissible under the personnel law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

5. **POWER TO RELAX: -** Where the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is of the opinion, that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **SAVING: -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. This is issued with the approval of the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi vide Note No. 10779 dated 10/09/2024.

By Order and in the name of the Administrator of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/–
(SHIVAM TEOTIA)
DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY (H&TE)
DNH AND DAMAN & DIU

Recruitment Rules Formulation, Amendment and Monitoring System						
13 Point Schedule - Annexure I						
Schedule Approved by UPSC vide Note No. 10779 dated 10/09/2024 Year: 2024						
Recruitment Rules for Head of Departments in Ministry / Department of DNH and DD Personnel						
Name of the Post	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection Post/ Non-selection Post**	**Age Limit for Direct Recruits**	**Educational and other Qualifications required for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
HEAD OF DEPARTMENTS	13 (2024) *Subject to variation dependent on workload **Remark:** **(i) Govt. Polytechnic, Daman- 06 Posts :-** Civil Engineering-01 Mechanical Engineering-01 Chemical Engineering-01 Computer Engineering-01 Information Technology-01 Electrical Engineering-01 **(ii) Dr. B.B.A. Govt. Polytechnic, Silvassa- 03 Posts:-** Civil Engineering 01 Mechanical Engineering-01 Electrical Engineering-01	**General Central Service** Non-Ministerial Gazetted Group "A"	13A Remark:- Level 13A1 (Rs. 1,31,400-2,17,100) as per AICTE Pay scale based on 7th CPC	Not Applicable	Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. servants upto 5 yrs in accordance with instructions or orders issue by Central Govt.) **(a) Crucial description**:- The crucial date for determining age limit shall be as advertised by the UPSC.	**Qualification: Essential:-** (A) (i) Ph. D. in relevant field from a recognized university or institute and First class at Bachelor's or Master's level in relevant discipline from a recognized university or institute; (ii) minimum of 12 years of experience in Teaching/ Research/ Industry, out of which at least 2 years shall be post Ph. D. Experience minimum at the level of Lecturer (Selection Grade-I). OR (B) (i) Bachelors and Masters Degree in relevant discipline from a recognized university or institute;

Name of the Post	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection Post/ Non-selection Post**	**Age Limit for Direct Recruits**	**Educational and other Qualifications required for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	(iii) Government Polytechnic, Diu- 04 Posts:- Civil Engineering-01 Mechanical Engineering-01 Electrical Engineering-01 Marine Engineering-01					(ii) minimum of 15 years experience in Teaching/ Research/ lndustry, out of which at least 3 years shall be at the level of Lecturer (Selection Grade-II). **Note 1:** If a Class/ Division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point System is adopted the Cumulative Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below:- **Grade Point** — **Equivalent Percentage** 6.25 — 55 6.75 — 60 7.25 — 65 7.75 — 70 8.25 — 75 **Note 2:** The exact requirement of the subject or discipline will be indicated at the time of each recruitment. **Desirable**:- Qualification: Not Applicable Experience:- Not Applicable

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
						Qualification Standard Note: Qualification are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Experience Standard Note**: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods**	**In case of recruitment by Prom/ Dep./abs. grades from which Prom/ Dep./abs. to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Age: NA Edu. Qual: NA	1-year	Method: By Direct Recruitment. Percentage: 100	Not Applicable. Standard Note: NA	**Departmental Promotion Committee** 1. Not applicable (Chairman) **Departmental Confirmation Committee** 1. Advisor to the Administrator, DNH and DD - (Chairman) 2. Finance Secretary, DNH and DD - (Member) 3. Secretary Education (Higher & Technical), DNH and DD (Member) 4. Deputy/Joint Secretary (Pers), DNH and DD- (Member) 5. Director/ Joint Secretary (H & TE) DNH and DD- (Member) 6. Principal, Govt. Polytechnic, Daman/ Diu/ Silvassa- (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

Sd/–

(SHIVAM TEOTIA)

DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY (H&TE)

DNH AND DAMAN & DIU

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर एवं तकनीकी)
सचिवालय, दमण - 396210.

सं. GC-DIU-EST-RR(PRINCIPAL)/2024-25/25 **दिनांक : 30/01/2025.**

अधिसूचना

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 7/1/65-स्था(ए), दिनांक 16 फरवरी, 1965 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.-14017/13/2016-स्था(भ.नि.), दिनांक 18 जनवरी, 2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के सरकारी महाविद्यालय, दीव में **प्राचार्य,** सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' (राजपत्रित एवं अलिपिकीय) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को **''संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के सरकारी महाविद्यालय, दीव में प्राचार्य, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' (राजपत्रित एवं अलिपिकीय) पद के लिए भर्ती नियम, 2024''** कहा जाएगा ।

(ii) ये इस नियम की अनुसूची के कॉलम – 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।

(iii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे और इस तिथि को या उसके बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-

इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे, जो इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम-2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं : बशर्ते कि संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन कार्य की आकस्मिकताओं के मद्देनज़र समय-समय पर उक्त अनुसूची के कॉलम - 2 में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं :-

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हता :-

ऐसा कोई व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, वह उक्त पद पर

नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव इससे संतुष्ट हो जाएं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. **<u>शिथिल करने की शक्ति :-</u>**

जहां प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वे आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेंगे ।

6. **<u>व्यावृत्ति :-</u>**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. इसे नोट सं. 10773, दिनांक 12/09/2024 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के आदेश एवं नाम से

ह/–

(शिवम तेवतिया)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (उ. एवं त. शि.)

दानह तथा दमण एवं दीव

भर्ती नियम नियमन, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली						
13 प्वाइंट अनुसूची - अनुलग्नक ।						
नोट संख्या 10773 , दिनांक 12/09/2024 के अनुसार यूपीएससी द्वारा अनुमोदित अनुसूची वर्ष : 2024						
मंत्रालय/विभाग : कार्मिक, दानह तथा दमण एवं दीव में प्राचार्य पद के लिए भर्ती नियम						
पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल**	**चयन पद अथवा गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं**
1	2	3	4	5	6	7
प्राचार्य	01 (2024) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	**सामान्य केन्द्रीय सेवा,** अलिपिकीय, राजपत्रित समूह ''क''	13ए **अभ्युक्ति :-** 7वें सीपीसी पर आधारित यूजीसी वेतनमान के अनुसार लेवल 13ए (रु. 1,31,400-2,17,100)	**लागू नहीं**	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) **(क) महत्वपूर्ण विवरण :-** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि यूपीएससी द्वारा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।	***योग्यता : अनिवार्य :-*** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पीएच.डी. उपाधि. (ii) प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर जिनके पास विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षण/अनुसंधान का कम से कम पंद्रह वर्ष का कुल सेवा/अनुभव हो। (iii) सहकर्मी-समीक्षित या विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रिकाओं में न्यूनतम दस अनुसंधान प्रकाशन. **नोट :** महाविद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे यूजीसी विनियमों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की समिति द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्ष की अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

						वांछनीय : योग्यता :- ------ . अनुभव :- --------. **योग्यता मानक नोट :** अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए यूपीएससी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है । **अनुभव मानक नोट :** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यता(एं), संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका गठन क्या है.	किन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.
8	9	10	11	12	13
आयु : लागू नहीं. **शैक्षिक योग्यता :** लागू नहीं.	1 वर्ष	**पद्धति :** प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालिक अनुबंध भी शामिल है, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा. प्रतिशतता : 100	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):** केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ प्रदेश प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन के अधीन अधिकारी; जो- (क) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स रू. 131400-217100, एकेडमी लेवल-13 ए या समकक्ष में प्राचार्य या एसोसिएट प्रोफेसर का पद धारण करते हों; **और** (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों।	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) **विभागीय कॉन्फर्मेशन समिति** 1. प्रशासक के सलाहकार, दानह तथा दमण एवं दीव – (अध्यक्ष) 2. वित्त सचिव, दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) 3. शिक्षा सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) 4. शिक्षा निदेशक (उच्चतर एवं तकनीकी), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य)	सीधी भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

			नोट -1 : केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि पांच वर्ष के लिए होगी, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्व- विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमी स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018, समय-समय पर संशोधित, के तहत गठित विश्वविद्यालय की समिति द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्ष की अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। **नोट -2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **मानक नोट : लागू नहीं ।**	5. उप/संयुक्त सचिव (कार्मिक), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य)	

ह/–

(शिवम तेवतिया)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (उ. एवं त. शि.)

दानह तथा दमण एवं दीव

U.T. ADMINISTRATION OF
DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
DIRECTORATE OF EDUCATION (HIGHER & TECHNICAL)
SECRETARIAT, DAMAN-396210

No. GC-DIU-EST-RR(PRINCIPAL)/2024-25/25 **Dated: - 30/01/2025**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution delegated to him vide Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi's Notification No.7/1/65-Est(A) dated 16th February, 1965 and Department of Personnel and Training, New Delhi O.M. No. AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 18th January, 2017, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to makes the following Rules regulating the method of recruitment to the General Central Service Group "A" (Gazetted & Non-Ministerial) post of **PRINCIPAL** in Government College, Diu under the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is as under: -

1. SHORT TITLE APPLICATION AND COMMENCEMENT: -

(i) These rules may be called by the "U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, General Central Service Group "A" (Gazetted & Non-Ministerial) post of **PRINCIPAL** in Government College, Diu Services Recruitment Rules, 2024".

(ii) They shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule to these Rules.

(ii) These rules will come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and will relate to appointment to the various posts made on or after this date.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY:- The number of posts, classification of the said posts and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule to these rules: Provided that, the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may vary the number of posts in Column No.2 of the said schedule from time to time subject to exigencies of the work.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND OTHER QUALIFICATION: -

The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. **DISQUALIFICATION:-** No Person (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) Who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service Provided that, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

5. **POWER TO RELAX: -** Where the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is of the opinion, that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **SAVING: -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. This is issued with the approval of the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi vide Note No. 10773 dated 12/09/2024.

By Order and in the name of the Administrator of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/–
(SHIVAM TEOTIA)
DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY (H&TE)
DNH AND DAMAN & DIU

Recruitment Rules Formulation, Amendment and Monitoring System

13 Point Schedule - Annexure I

Schedule Approved by UPSC vide Note No. 10773 dated 12/09/2024 Year: 2024

Recruitment Rules for Principal in Ministry / Department of DNH and DD Personnel

Name of the Post	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Level in the Pay Matrix**	**Whether Selection Post/ Non-selection Post**	**Age Limit for Direct Recruits**	**Educational and other Qualifications required for direct recruits**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
PRINCIPAL	1(2024) *Subject to variation dependent on workload	**General Central Service**Non Ministerial Gazetted Group, "A"	13A Remark : Level 13A(Rs.1,31,400 - Rs. 2,17,100) as per UGC Pay Scale based on 7^{th} CPC	Not Applicable	Not exceeding 50 years (relaxable for Govt servants upto 5yrs in accordance with instructions or orders issue by Central Govt.) **(a)Crucial description:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	**Qualification:**(i) Ph.D Degree from a recognized University or Institute. (ii) Professor / Associate Professor with a total service / experience of at least fifteen years of teaching / research in Universities, Colleges and other institutions of higher education. (iii) A minimum of ten research publications in peer- reviewed or University Grant Commissionlisted Journals. Note: A College Principal shall be appointed for a period of five years, extendable for anotherterm of five

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
						years on the basis of performance assessment by a committee appointed by theUniversity, constituted as per the UGC regulations. **Desirable** Qualification: ----- Experience:- ----- **Qualification Standard Note:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded inwriting, in the case of candidates otherwise well qualified. **Experience Standard Note:-** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by Prom/ Dep./abs. grades from which Prom/ Dep./abs. to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
AGE: NA **Edu.Qual:** NA	1-year	**Method**: Deputation including Short Term Contract Failing which by Direct Recruitment Percentage: 100	**Deputation (including short term contract)**: Officers under Central Government or state Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or recognized Universities or recognized Research Institutes or Autonomous bodies or Statutory Organisation; (A) Holding the post of Principal or Associate Professor in Academic Level-13A in pay matrix (Rs. 131400-217100) or equivalent in the Parent Cadre orDepartment; AND (B) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. Note-1: The period of deputation (including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately, preceding this appointment in the same or some other organization or Departmental of the Central Government shall be for a period of five years, extendable for another term of five years on the basis of performance assessment by a committee	**Departmental Promotion Committee** 1. N.A (Chairman) **Departmental Confirmation Committee** 1. Advisor to Administrator, DNH and Daman and Diu (Chairman) 2.Finance Secretary, DNH and Daman and Diu (member) 3. Secretary Education (Higher and Technical), DNH and Daman and Diu (member) 4. Director of Education (Higher and Technical), DNH and Daman and Diu (member) 5. Deputy / Joint Secretary (Pers.) , DNH and Daman and Diu (member)	Consultation with UPSC is necessary while making direct recruitment.

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by Prom/ Dep./abs. grades from which Prom/ Dep./abs. to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
			appointed by the University, constituted as per University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and colleges and other Measures for the maintenance of Standards in Higher Education) Regulation, 2018, as amended from time to time. Note-2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Standard Note: NA		

Sd/–
(SHIVAM TEOTIA)
DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY (H&TE)
DNH AND DAMAN & DIU

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर एवं तकनीकी)
सचिवालय, दमण - 396210.

सं. GC-DIU-EST-RR(Assistant Professors)/2024-25/27 **दिनांक : 30/01/2025.**

अधिसूचना

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 7/1/65-स्था(ए), दिनांक 16 फरवरी, 1965 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी.-14017/13/2016-स्था(भ.नि.), दिनांक 18 जनवरी, 2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के सरकारी महाविद्यालय, दमण/दीव में **असिस्टेंट प्रोफेसर,** सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' (राजपत्रित एवं अलिपिकीय) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को **''संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन के सरकारी महाविद्यालय, दमण/दीव में असिस्टेंट प्रोफेसर, सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-'क' (राजपत्रित एवं अलिपिकीय) पद के लिए भर्ती नियम, 2024''** कहा जाएगा ।

(ii) ये इस नियम की अनुसूची के कॉलम – 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।

(iii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे और इस तिथि को या उसके बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-

इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होंगे, जो इस नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम-2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं : बशर्ते कि संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन कार्य की आकस्मिकताओं के मद्देनज़र समय-समय पर उक्त अनुसूची के कॉलम - 2 में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं :-

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम-5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हता :-

ऐसा कोई व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो, या (ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव इससे संतुष्ट हो जाएं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. **<u>शिथिल करने की शक्ति :-</u>**

जहां प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहां वे आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेंगे ।

6. **<u>व्यावृत्ति :-</u>**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. इसे नोट सं. 10775, दिनांक 09/09/2024 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण
एवं दीव के आदेश एवं नाम से

ह/–

(शिवम तेवतिया)
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (उ. एवं त. शि.)
दानह तथा दमण एवं दीव

भर्ती नियम नियमन, संशोधन एवं निगरानी प्रणाली						
13 प्वाइंट अनुसूची - अनुलग्नक I						
नोट संख्या 10775 , दिनांक 09/09/2024 के अनुसार यूपीएससी द्वारा अनुमोदित अनुसूची वर्ष : 2024						
मंत्रालय/विभाग : कार्मिक, दानह तथा दमण एवं दीव में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती नियम						
पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल**	**चयन पद अथवा गैर-चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं**
1	2	3	4	5	6	7
असिस्टेंट प्रोफेसर	63 (2024) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय **अभ्युक्ति :** (i) सरकारी महाविद्यालय, दमण – 31 पद (ii) सरकारी महाविद्यालय, दीव – 32 पद	**सामान्य केन्द्रीय सेवा,** अलिपिकीय, राजपत्रित समूह ''क''	10 **अभ्युक्ति :-** यूजीसी वेतनमान के अनुसार लेवल 10 (रु. 57,000-1,82,400)	**लागू नहीं**	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) **(क) महत्वपूर्ण विवरण :-** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि यूपीएससी द्वारा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।	**योग्यता :** पात्रता (क या ख) :- क. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित/ प्रासंगिक/संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों (या जहां ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री । (ii) उपर्युक्त योग्यताएं पूरी करने के अलावा, जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समान परीक्षा, जैसे स्लेट/सेट उत्तीर्ण की हो या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर उनके संशोधनों के अनुसार पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई हो, उन्हें नेट/स्लेट/सेट से छूट दी जाएगी: बशर्ते, 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार, डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएचडी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों / संस्थानों में असिस्टेंट

						प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/स्लेट/सेट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें : क. अभ्यर्थी को नियमित रूप से पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई हो; ख. पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो; ग. अभ्यर्थी की खुली पीएचडी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; घ. अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिनमें से कम से कम एक रेफरीड जर्नल में हो; ङ. अभ्यर्थी ने यूजीसी/ आईसीएसएसआर /सीएसआईआर या किसी समान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने पीएचडी कार्य पर आधारित कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों। उपर्युक्त (क) से (ङ) तक की शर्तों की पूर्ति को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा। **या** ख. किसी विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान से पीएचडी की डिग्री । **नोट 1 :** यदि कोई श्रेणी/डिवीजन नहीं दिया गया हो, तो कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक प्रथम श्रेणी/डिवीजन के

						बराबर माने जाएंगे । यदि ग्रेड पॉइंट प्रणाली अपनाई गई है तो संचयी ग्रेड पॉइंट औसत को नीचे दिए गए अनुसार समकक्ष अंकों में परिवर्तित किया जाएगा :- **ग्रेड प्वाइंट** **समकक्ष प्रतिशत** 6.25 55 6.75 60 7.25 65 7.75 70 8.25 75 **नोट 2 :** प्रत्येक भर्ती के समय विषय या विषय क्षेत्र की सटीक आवश्यकता बताई जाएगी । **वांछनीय :** **योग्यता :-** 10वीं/12वीं कक्षा या उससे ऊपर गुजराती भाषा का अध्ययन किया हो **अनुभव :-** --------. **योग्यता मानक नोट :** अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए यूपीएससी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है । **अनुभव मानक नोट :** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसका गठन क्या है.	किन परिस्थितियों में भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है.
8	9	10	11	12	13
आयु : लागू नहीं. **शैक्षिक योग्यता :** लागू नहीं.	1 वर्ष	**पद्धति :** सीधी भर्ती द्वारा. प्रतिशतता : 100	**लागू नहीं ।** **मानक नोट : लागू नहीं ।**	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) **विभागीय कॉन्फर्मेशन समिति** 1. प्रशासक के सलाहकार, दानह तथा दमण एवं दीव – (अध्यक्ष) 2. वित्त सचिव, दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) 3. शिक्षा सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) 4. उप/संयुक्त सचिव (कार्मिक), दमण/दानह – (सदस्य) 5. निदेशक/संयुक्त सचिव (उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा), दानह तथा दमण एवं दीव – (सदस्य) 6. प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय, दमण/दीव (सदस्य)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

ह/–

(शिवम तेवतिया)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (उ. एवं त. शि.)

दानह तथा दमण एवं दीव

U.T. ADMINISTRATION OF
DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
DIRECTORATE OF EDUCATION (HIGHER & TECHNICAL)
SECRETARIAT, DAMAN-396210

No. GC-DIU-EST-RR(ASSISTANT PREOFESSORS)/2024-25/27 Dated: - 30/01/2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution delegated to him vide Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi's Notification No.7/1/65-Est(A) dated 16th February, 1965 and Department of Personnel and Training, New Delhi O.M. No. AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 18th January, 2017, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to makes the following Rules regulating the method of recruitment to the General Central Service Group "A" (Gazetted & Non-Ministerial) posts of **ASSISTANT PROFESSORS** in the Government Colleges, Daman/ Diu under the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu are as under: -

1. SHORT TITLE APPLICATION AND COMMENCEMENT: -

(i) These rules may be called by the "U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, General Central Service Group "A" (Gazetted & Non-Ministerial) post of **ASSISTANT PROFESSORS** in Government Colleges, Daman/ Diu Services Recruitment Rules, 2024".

(ii) They shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule to these Rules.

(ii) These rules will come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and will relate to appointment to the various posts made on or after this date.

2. NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND SCALE OF PAY: - The number of posts, classification of the said posts and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule to these rules: Provided that, the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may vary the number of posts in Column No.2 of the said schedule from time to time subject to exigencies of the work.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT AND OTHER QUALIFICATION: -

The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. **DISQUALIFICATION:-** No Person (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) Who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service Provided that, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person form the operation of this rule.

5. **POWER TO RELAX: -** Where the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is of the opinion, that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **SAVING: -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. This is issued with the approval of the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi vide Note No. 10775 dated 09/09/2024.

By Order and in the name of the Administrator of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/–
(SHIVAM TEOTIA)
DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY (H&TE)
DNH AND DAMAN & DIU

Recruitment Rules Formulation, Amendment and Monitoring System

13 Point Schedule - Annexure I

Schedule Approved by UPSC vide Note No. 10775 dated 09/09/2024 Year: 2024

Recruitment Rules for Assistant Professors in Ministry / Department of DNH and DD Personnel

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
ASSISTANT PROFESSORS	63(2024) *Subject to variation dependent on workload Remark : (i) Govt. College, Daman - 31 Posts (ii) Govt. College, Diu - 32 posts	**General Central Service** Non Ministerial Gazetted Group, "A"	10 Remark: Level 10 (Rs. 57,700 - 1,82,400) as per UGC Pay Scale	Not Applicable	Not exceeding 35 Years (Relaxable for Govt servants upto 5yrs in accordance with instructions or orders issue by Central Govt.) **(a)Crucial description:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.	**Qualification:** Eligibility (A or B): A. i) Masters Degree with 55 percent marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in the concerned / relevant / allied subject from a recognized University / Institute. ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET: Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of

						NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfilment of the following conditions: - a) Ph.D degree of the candidate has been awarded in a regular mode; b) The Ph.D thesis has been evaluated by at least two external examiners; c) An open Ph.D viva voce of the candidate has been conducted; d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D work out of which at least one is in a refereed journal; e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/ supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency. The fulfillment of the conditions (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/Dean (Academic Affairs) of the University concerned. OR B. Ph.D degree from a foreign University/Institution. Note-1: - If a Class/ Division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a Grade Point System is adopted the Cumulative Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below: - Grade Point — Equivalent Percentage 6.25 — 55 6.75 — 60 7.25 — 65 7.75 — 70 8.25 — 75

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/ Non-selection Post	Age Limit for Direct Recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
						Note 2: The exact requirement of the subject/ discipline will be indicated at the time of each requirement. **Desirable**: **Qualification:** Studied Gujarati at 10th/12th standard or above. **Experience: -----** **Qualification Standard Note:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Experience Standard Note:-** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C., for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the U.P.S.C., is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by Prom/ Dep./abs. grades from which Prom/ Dep./abs. to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
AGE: NA **Edu.Qual:** NA	1-year	**Method**: By Direct Recruitment Percentage: 100	Not Applicable **Standard Note:** NA	**Departmental Promotion Committee** Not applicable (Chairman) **Departmental Confirmation Committee** 1. Advisor to the Administrator, DNH and DD (Chairman) 2. Finance Secretary, DNH and DD (Member) 3. Secretary Education (Higher & Technical), DNH and DD (Member) 4. Deputy / Joint Secretary (Pers), Daman / DNH (Member) 5. Director / Joint Secretary (H&TE) DNH and DD 6. Principal, Government College, Daman / Diu (Member)	Consultation with UPSC is necessary.

Sd/–
(SHIVAM TEOTIA)
DIRECTOR-CUM-JOINT SECRETARY (H&TE)
DNH AND DAMAN & DIU

***